पत्रांक–02/सिरीज–02/2016, परि0
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से0,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
कैमूर।

पटना, दिनांक .....

विषय :– **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1639, दिनांक–15.10.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-45V** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-45U** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक (परिवहन)** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02/सिरीज–02/2016, परि0 9597 पटना, दिनांक– 29.10.26

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को ई0–ऑक्शन में समाहित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29-10-26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–02/सिरीज–02/2016, परि0 9597

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से0,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
कैमूर।

पटना, दिनांक 29.10.26

विषय :– **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1639, दिनांक–15.10.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-45V** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-45U** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक (परिवहन)** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

29-10-26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।